जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

पुराने पांच सौ एवं एक हजार रूपये के नोट से विद्युत विपत्रों का भुगतान करने की अवधि 24 नवम्बर तक ही

जयपुर, 22 नवम्बर। जयपुर विद्युत वितरण निगम में विद्युत सम्बन्धी भुगतानों के लिए पुराने पांच सौ एवं एक हजार रुपए के नोट आगामी दो दिन तक ही ओर लिए जाएगें।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा ने बताया कि भारत सरकार के आदेशानुसार जयपुर विद्युत वितरण के सभी रोकड़ संग्रहण केन्द्रों पर पुराने पांच सौ एवं एक हजार रुपए के नोट विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए 24 नवम्बर, 2016 तक ही लिए जाएगें। ततपश्चात् पांच सौ एवं एक हजार रुपए मूल्य के पुराने नोट स्वीकार नही किए जाएगें। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए पुराने नोट से विद्युत बिल जमा कराने का यह अन्तिम अवसर है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए अनुरोध किया है कि इस सुविधा का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठा कर विद्युत बिल मय बकाया राशि के जमा करायें।

श्री बोहरा ने बताया कि यह सुविधा केवल व्यक्तिगत/हाउसहोल्डस के लिए ही होगी एवं विद्युत बिलों के लिए अग्रिम भुगतान नही लिया जाएगा। इसके साथ ही ई–मित्र, डाटा इंफोसिस एवं कोटा शहर में केईडीएल के काउन्टरों पर भी विद्युत संबंधी भुगतानों के लिए इस अवधि तक ही पुराने पांच सौ एवं एक हजार रुपए के नोट स्वीकार किये जा सकेगें।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 484/2016